

# राजस्थान आवासन मण्डल

कोटपूतली आवासीय योजना रामाकृष्णापुरम के पूर्व पंजीकृत आवेदकों एवं आम जनता के लिए किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत

स्वतंत्र आवास प्राप्त करने का

## स्वर्णिम अवसर

योजना की प्रारम्भ तिथि  
04.06.2014

योजना की अन्तिम तिथि  
30.06.2014

### 1. आवासों के आवंटन का वरियता क्रम निम्नानुसार होगा :

- नगद भुगतान के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष एवं वरिष्ठता के अनुसार प्रथम वरियता दी जायेगी।
- किराया क्रय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष एवं वरियता के अनुसार द्वितीय वरियता दी जायेगी।
- नगद भुगतान पद्धति पर आम आदमी को तृतीय वरियता के अनुसार खुली बिक्री में आवासों का आवंटन किया जायेगा।
- किराया क्रय पद्धति पर आम आदमी को चतुर्थ वरियता के अनुसार आवासों का आवंटन किया जायेगा।

### 2. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध आवासों का विवरण निम्न है :

क्र. सं.	आय वर्ग	आवासों की सं.	प्लॉट साइज	लागत (प्रत्येक आवास)	निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर	मकान संख्या
1.	LIG	13	6.00X16.00	757000.00	29.61 वर्ग मीटर	2-K-4, 5, 2-J-15, 2-L-12, 17, 29, 2-M-5, 14, 16, 2-P-37, 4-G-12, 4-F-4, 5
2.	MIG-A	18	8.00X16.00	1298000.00	56.25 वर्ग मीटर	1-B-5, 6, 8, 9, 10, 1-C-2, 3, 4, 1-F-01, 12, 15, 1-D-06, 1-A-16, 4-B-22, 4-D-5, 4-E-7, 8, 4-F-24
3.	MIG-B	18	9.00X18.00	1937200.00	74.50 वर्ग मीटर	1-F-17, 26, 27, 1-A-2, 7, 3-G-3, 11, 12, 3-D-8, 3-E-2, 5, 9, 3-F-4, 6, 8, 12, 16, 4-A-2
4.	HIG	26	11.25X21.00	3372500.00	128.324 वर्ग मीटर	3-B-22, 23, 3-C-10, 17, 20, 22, 25, 3-A-10, 3-B-02, 3, 4, 6, 12, 17, 26, 27, 3-C-1, 2, 4, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21

### 3. आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली राशि का विवरण :

क्र. सं.	वर्ग	आवेदन पत्र के साथ देय राशि (रुपये में)			
		पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि की प्रथम किस्त	प्रक्रिया शुल्क	कुल देय राशि
1	अल्प आय वर्ग	15000.00	10000.00	700.00	25700.00
2	मध्यम आय वर्ग 'अ'	50000.00	40000.00	1000.00	91000.00
3	मध्यम आय वर्ग 'ब'	80000.00	70000.00	1500.00	151500.00
4	उच्च आय वर्ग	120000.00	100000.00	2000.00	222000.00

### 4. आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु :

- उपरोक्त लागत के अतिरिक्त लीज राशि 2.5% (भूमि की कीमत का), कोने के आवास के लिये निर्माण लागत का से 5% एवं मध्यम आय वर्ग 'अ', मध्यम आय वर्ग 'ब' एवं उच्च आय वर्ग के लिये ए.सी.सी. 3% अलग से देय होगा।
- यदि किसी आवास में अतिरिक्त भूमि है तो उसकी लागत अलग से देय होगी।
- किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिये उपरोक्त लागत के अतिरिक्त 3.09% सेवाकर देय होगा।
- नगद भुगतान पद्धति पर योजना में आवास प्राप्त करने हेतु कुल देय राशि का पे-ऑर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल, कोटपूतली के पक्ष में बनाकर, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) उपखण्ड कोटपूतली कार्यालय में जमा कराना होगा।
- नगद भुगतान में आवंटित आवास की मांग राशि आवेदक को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि में जमा करानी होगी। आवंटन पत्रानुसार राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार जमा राशि में कटौती कर राशि वापस लौटा दी जायेगी।
- योजना के आवेदन फार्म दिनांक 04.06.2014 से आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम, सेक्टर-04, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर एवं परियोजना अभियन्ता, कोटपूतली कार्यालय से 200/- नगद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।
- योजना के आवास आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सायं 4.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे एवं आवासों का आवंटन उसी दिन सायं 5.00 बजे पश्चात् किया जावेगा।
- पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी हेतु दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। निरस्त किये जा चुके पंजीकरण स्वीकार नहीं होंगे।
- पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा जमा पंजीकरण राशि एवं सीडमनी का समायोजन, आवंटन पत्र जारी करते समय नियमानुसार किया जावेगा।
- एक आवेदन पत्र में केवल तीन ही विकल्प स्वीकार होंगे।
- असफल आवेदक अपना पे-ऑर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट अगले कार्य दिवस में प्राप्त कर सकेंगे एवं अन्य आवास के आवंटन हेतु विकल्प भी प्रस्तुत कर सकेंगे।
- उक्त आवास जहाँ है, जैसे है की स्थिति में ही आवंटित किये जायेंगे तथा आवेदक का कोई भी आक्षेप इस विषय में स्वीकार नहीं होगा।
- उपरोक्त आवासों की संख्या अपरिहार्य कारणों से घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
- उक्त आवासों की लागत पत्र क्रमांक F2(3)/costing/796/557 Dt.16.12.13, F2 (3) /Costing/938/569 Dt. 18.12.13 & F2 (3)/costing/1938/639 Dt. 27.01.14 के द्वारा स्वीकृत की गयी है।

#### सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता  
सेक्टर-4, इन्दिरा गांधी नगर,  
जगतपुरा, जयपुर

उप आवासन आयुक्त  
वृत्त-तृतीय, जवाहर सफिल के पास,  
रा. आ. म., जयपुर

परियोजना अभियन्ता (व.)  
मकान संख्या : 3-ए-2, रा. आ. म.,  
रामाकृष्णापुरम स्कीम, कोटपूतली